

**EASTERN GENERAL INDUSTRIES LIMITED**  
 CIN: L01131WB1952PLC200342; Regd. Office: 90/31, Diamond Harbour Road, Kolkata - 700038; Tel No. : 033 2398 3475/3289; Email: ravisingh@rajwute.in; Website: www.rajwute.in/egi.html

**NOTICE**

Notice is hereby given to all the public shareholders of Eastern General Industries Limited ("Company") that the Company had initiated the process of voluntary delisting of its equity shares from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed. The result to the delisting proposal was declared on 09.04.2021 pursuant to the approval of the shareholders and the in-principle approval was received on 26.08.2021 from the CSE. Thereafter, the Promoter Acquirer had written individually to all the public shareholders through the Offer Letter to participate in the Delisting Offer. However, due to lack of response from the public shareholders the delisting proposal had failed. The Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the CSE and re-start the entire delisting process once again. Therefore, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company / Alankit Assignments Limited ("Registrar") of the Company within thirty days from the date of this notice, i.e., latest by 14.07.2023 to facilitate them to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer. We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physical form are now also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise, public shareholders holding their shares in physical mode will not be able to transfer them unless they get their shares dematerialized. Shareholders are also requested to kindly refer SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries:

<b>Eastern General Industries Limited</b> Ravi Singh (Company Secretary & Compliance Officer) Ph No.: 9007974000 Email id: ravisingh@rajwute.in	<b>Alankit Assignments Limited</b> Naman Ahuja (Assistant Manager) Ph No.: 011-42541959 Email id: naman@alankit.com
---	---

For Eastern General Industries Limited

Ravi Singh  
Company Secretary  
M. No.: A69324

Place: Kolkata  
Date: 14.06.2023

**कनका सूचना**  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोध्यास्थानी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार जितेंद्र कुमार राय प्रॉपरटिज़र जे.के.सुब्रम (प्रकाशक और वितरक) और शकुंतला देवी को 02.12.2021 की सूचना में बर्नन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00291487 की राशि रु. 25,41,846.52/- (रुपय पच्चीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ छियालीस और बावन पैसे मात्र) और 27.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से सप् 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिप्रायना सूचना जारी की थी। धराराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोध्यास्थानी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 12.06.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 25,41,846.52/- (रुपय पच्चीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ छियालीस और बावन पैसे मात्र) 27.11.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.एस -2, माइल 55.73 स्के.बी., दुसरी मंजिल, सामने एनएएस, प्लॉट नं.43 पर निर्मित, जिसका एरिया 355 स्के.चार्डस यानि 296.815 स्के.मी., विधानन गार्डन आवासीय कॉलोनी में स्थित, गॉव पासोदा में, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010।

दिनांक: 12.06.2023  
स्थान : गाजियाबाद

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**ANAND RATHI**

अचल संपत्ति का विवरण

कर्मचारी/सह-कर्जदार का नाम/पता	परिपूरणी की तिथि	रु. 23,55,108/- (स रुपये तैरस लाख पचस हजार एक सौ आठ मात्र)
(1) मैसर्स सनराइट इंडस्ट्रीज (कर्जदार) विकास नगर, दूसरा मील का पथर, बसस्टैंड रोड, गुडगांव, हरियाणा - 122001।	02-06-2023	ब्याज की दर 13.50% मांग सूचना की तिथि 21,86,272
(2) श्री प्रदीप शर्मा (सह-कर्जदार) मकान नंबर 1-801, पहली मंजिल, ब्लॉक-1, पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा-122017।	07/06/2023	संविदा इंतजार नहीं 1,32,644
(3) श्रीमती लक्ष्मी शर्मा (सह-कर्जदार) मकान नंबर 1-801, पहली मंजिल, ब्लॉक-1, पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा-122017।	23-09-2021	समाप्त पर ब्याज 1,640
(4) श्रीमती लक्ष्मी शर्मा (सह-कर्जदार) मकान नंबर 1-801, पहली मंजिल, ब्लॉक-1, पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा-122017।	29,59,000/-	अधिष्ठापक 9,852
अनुसूची II - प्रतिभूत आस्तियों का विवरण		
संपत्ति का पता: प्लान नंबर 26-ए, खसरा नंबर 1020, गांधी नगर, तहसील और जिला गुडगांव, हरियाणा - 122001, पूर्व : दूसरे की संपत्ति पश्चिम : पटौदी रोड उत्तर : दूसरे की संपत्ति दक्षिण : दूसरे की संपत्ति		
प्रमुख परिसरितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोग्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रेषण की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कर्षित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोग्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि आप उपर्युक्त सूचना के प्रत्युत्तर में कोई प्रतिनिधन करना चाहते हैं तो कृपया इसे हमारे अधिकृत अधिकारी श्री रोहित सलवान, आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, 5वीं मंजिल, 'ए' विंग, एक्सप्रेस जॉन हिलिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोवागो (पूर्व), मुम्बई-400 063 पर केवल हमें समस्त उक्त दस्तावेजों के लिए भेजें। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति या स्थान पर सम्बंधित किया जाता है तो इस सूचना के प्रत्युत्तर में आपके किसी प्रतिनिधन का उतर देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार को पूर्व सहमत के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, पटौत या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकते। तिथि : 07.06.2023 स्थान : दिल्ली		

आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

**पत्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड**  
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

"एलएस्टीके आधार पर पत्रन (जीआईएसए) एस/एस में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की वृद्धि के लिए निर्माता के कार्यशाला में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, जांच, परिवहन, कार्यस्थल पर अनलॉडिंग तथा डिलीवरी के साथ बीमा एवं भंडारण, सभी सहायक सविल कार्य के साथ पीडीबी (220केवी तथा 400केवी क्रमशः) के लिए मौजूदा जीआईएसए हॉल पीडीबी के विस्तार के साथ पुराना तथा कृत्रिमनिर्माण (नए रूप), ट्रांसफॉर्मर अंत्य क्लेविंग पिट, आंतरिक सड़कों को तोड़ना एवं मार्ग परिवर्तन, कार्य स्थल पर स्थापना, जांच एवं चालू करने के साथ सभी उपकरणों, फ्रीटिंगों, सहायक यंत्रों, फार्डेशन बोल्टों (यदि कोई हो) केबलों तथा अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों तथा स्थिति निगरानी उपकरणों के लिए" निविदा आमंत्रण सूचना।

पत्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा एकल चरण दो लिफाफा प्रक्रिया के अनुसार आईसीटी-टाई-लाइन के नए ब्याज में जीआईएसए डक्ट (400केवी एवं 220 केवी में) के साथ 400/220 केवी पत्रन (जीआईएसए) एस/एस में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की वृद्धि के लिए बोलियां आमंत्रित करती है। इच्छुक बोलीदातागण दिनांक 15.06.2023 से हमारी वेबसाइट [www.indigrd.co.in](http://www.indigrd.co.in) पर उपलब्ध बोली दस्तावेज देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक पार्टियां बोली दस्तावेज में उल्लिखित विवरण के अनुसार रु. 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) + 18% जीएसटी का अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण समय-सीमा नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	परिचयना का नाम	स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	बोली-प्रभार खोलने की तिथि
1	एलएस्टीके आधार पर आईसीटी-टाई लाइन के नए ब्याज में जीएसआई डक्ट (400 केवी तथा 220 केवी में) के साथ 400/220 केवी पत्रन (जीआईएसए) एस/एस में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की वृद्धि।	22.06.2023	07.07.2023 को 15.00 बजे (भासास) तक	07.07.2023 को 15.30 बजे (भासास)

बोली दस्तावेज के सभी शुद्धिपत्र, संशोधन, संशोधन, समय का विस्तार इत्यादि हमारी वेबसाइट [www.indigrd.co.in](http://www.indigrd.co.in) पर प्रकाशित किए जाएंगे। नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बोलीदाताओं को नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखना होगा।

पत्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड  
यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विडसर, ग्राम कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विधानमगी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-400098  
ईमेल: [rtmtenders@indigrd.com](mailto:rtmtenders@indigrd.com), [aditya.kislay@indigrd.com](mailto:aditya.kislay@indigrd.com), [bharti.pruthi@indigrd.com](mailto:bharti.pruthi@indigrd.com)

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that Sania Kumari D/O Amar Lal R/o.Khasra No. 677, House No.3/4, Ashok Vatika, Devii Village, Khanpur, Delhi-62 is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for Naturalization and that any person who knows any reason why Naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary.

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that Shama Kumari W/O Amar Lal R/o.Khasra No. 677, House No.3/4, Ashok Vatika, Devii Village, Khanpur, Delhi-62 is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for Naturalization and that any person who knows any reason why Naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary.

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that Sumit Kumar S/O Amar Lal R/o.Khasra No.677, House No.3/4, Ashok Vatika, Devii Village, Khanpur, Delhi-62 is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for Naturalization and that any person who knows any reason why Naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary.

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**JKCement**  
जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड  
सीआइएन : L17229UP1994PLC017199  
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र.  
टेलीफोन : +91 512 2371478 फैक्स : +91 512 2332665  
ईमेल : [shambhu.singh@jkcement.com](mailto:shambhu.singh@jkcement.com) वेब : [www.jkcement.com](http://www.jkcement.com)

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश वर्तमान में कंपनी को पास हैं और इन्हें शिफ्टकर 2023, के चतुर्थ सप्ताह में आई ई पी एफ को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के उन इक्विटी शेयरों को, जिनके लाभांश का दावा या भुगतान लगातार सात वर्षों या अधिक समय से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अनिवार्य रूप से अंतरित किया जाना अपेक्षित है इससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.jkcement.com](http://www.jkcement.com) पर "Information about IEPF" सेक्शन के तहत उपलब्ध हैं। एतत् संबंधित सूचना, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जा चुकी है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने दावे लिखित रूप में कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, NSDL Database Management Limited (NDML) 4<sup>th</sup> Floor, Trade World, A wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013 को दिनांक 19 सितम्बर, 2023 से पूर्व भेज दें।

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांशों को कंपनी द्वारा पहले ही आई ई पी एफ में अंतरित किया जा चुका है।

यदि कंपनी को दिनांक 19.09.2023 तक कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी सितम्बर, 2023 के चतुर्थ सप्ताह में ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित करने की दिशा में आगे की कार्यवाही करेगी। एक बार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित कर देने के पश्चात, सम्बंधित सदस्य ऐसे शेयरों पर दावा केवल आई ई पी एफ प्राधिकरण को ही इस हेतु नियत प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत कर सकते। कंपनी द्वारा एक बार आई ई पी एफ को शेयर अंतरित करने के पश्चात ऐसे दावा रहित या भुगतान रहित शेयरों की वापसी के सम्बंध में कोई भी दावा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण हेतु कृपया [shambhu.singh@jkcement.com](mailto:shambhu.singh@jkcement.com) / [sunilk@nsdl.co.in](mailto:sunilk@nsdl.co.in) पर ई-मेल तथा कर अथवा टेलीफोन नं 0+22 4914 2589/2700 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह सूचना आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा धनवापसी) नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित की गयी है।

स्थान: कानपुर  
दिनांक: 14.06.2023

कृते जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड  
शम्भू सिंह  
उपाध्यक्ष (विधि) एवं कम्पनी सचिव  
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं 0 एफसीएस 5836

**कनका सूचना**  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोध्यास्थानी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अशोक कुमार और पुष्पा देवी को 28.02.2022 की सूचना में बर्नन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNDD00229894 की राशि रु. 19,66,313.92/- (रुपय उन्नीस लाख छियाठ हजार तीन सौ तेरह और बावने पैसे मात्र) और 10.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.एफ-3, पहली मंजिल पर, प्लॉट नं. बी/174 के सामने बाएँ हाथ की ओर, सीएलएफ एक्सस्ट्रीट II में स्थित, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश जिसका मापित एरिया 74.32 स्के.मी। प्लॉट नं.एफ-3 निम्नानुसार परिबद्ध है:

पूर्व में: प्लॉट नं.एफ-4  
उत्तर में: सी चैम्बेज और प्लॉट नं.एफ-7  
दक्षिण में: प्लॉट नं.एफ-2  
दक्षिण में: 30 मी. चौड़ा रोड

दिनांक: 12.06.2023  
स्थान : गाजियाबाद

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**कनका सूचना**  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोध्यास्थानी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अशोक कुमार और अनिता को 24.02.2022 की सूचना में बर्नन के अनुसार कर्ज खाता नं. HDHLGGU00491453 की राशि रु. 21,46,406.55/- (रुपय इक्कीस लाख छियालीस हजार चार सौ छ और पचपन पैसे मात्र) और 17.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

दुसरी मंजिल (पीके का भाग), रुफ राइट्स के बिना, संपत्ति नं.622/ए पर निर्मित, गली नं.5-ए, मापित 85 स्के.चार्डस, खसरा नं.600/92 में से, गोविन्दपुरी में स्थित, कानपुर। नई दिल्ली-110019, एक बाईक पार्किंग जगह के साथ।

दिनांक: 12.06.2023  
स्थान : नई दिल्ली

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING**  
अद्वितीय बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन सेयॉन कम्पाउंड, विरावल, गुवागट - 362 266  
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, विजया बिल्डिंग, प्लॉट सं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001

**कनका सूचना**  
[ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 (देखें नियम 8(1)) ]

सूक्ति, अयोध्यास्थानी द्वारा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा तल, विजया बिल्डिंग, सं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की अधिनियम सं.54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहस्रवित्त नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग में दिनांक 22.12.2022 पर मांग सूचना जारी करते हुए कर्जदारों/ सह- कर्जदारों यानी कोरोनेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरप्रवाइटर लिमिटेड, निदेशक के माध्यम से, श्री सुरिंदर सिंह अटवाल, श्री रंजित सिंह अटवाल, श्री करणवीर सिंह अटवाल, श्रीमती पुष्प्रीत कौर अटवाल को सूचना में उल्लेखित देय राशि रुपये 11,97,31,812/- ( रुपये ग्याारह करोड़ सत्तारह लाख इक्कीस हजार आठ सौ बारा मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है। कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अयोध्यास्थानी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के सहस्रवित्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां निम्न वित्ति संपत्ति पर इस वर्ष 2023 को जून के 12 वें दिन कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/ गारंटर और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड दूसरा तल, विजया बिल्डिंग, सं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001 को देय राशि रुपये 11,97,31,812/- ( रुपये ग्याारह करोड़ सत्तारह लाख इक्कीस हजार आठ सौ बारा मात्र) और उस पर ब्याज के साथ प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्यभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आकांक्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति  
बंधक संपत्ति का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग :  
" " संपत्ति धारक-"ई-0, मीरा कॉर्पोरेट सुइट्स, 1 और 2, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065'  
का संपूर्ण स्वामीगण भाग।

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 12/06/2023

प्राधिकृत अधिकारी  
(आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड)

**कनका सूचना**  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोध्यास्थानी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सुनिता पुषराना और रवि चंद्रन पुषराना उर्फ आर सी पुषराना को 31.05.2022 की सूचना में बर्नन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00226358 की राशि रु. 5,49,212.27/- (रुपय पाँच लाख उन्चास हजार दो सौ बारा और सत्ताईस पैसे मात्र) और 17.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से सप् 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिप्रायना सूचना जारी की थी। धराराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोध्यास्थानी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरीटी इंस्ट्रस्ट (एफकोसिमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 12.06.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.5,49,212.27/- (रुपय पाँच लाख उन्चास हजार दो सौ बारा और सत्ताईस पैसे मात्र) 17.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं.एफएफ-4, एक.आई.जी.पहली मंजिल, पीछे सहित हाथ की ओर, जिसका कर्ज ई एरिया 400 स्के. की तानि 37.16 स्के.मी. रुफ राइट्स के बिना, प्लॉट नं.बी-14/12, वीएलएफ अंडर विहार, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 12.06.2023  
स्थान : गाजियाबाद

सही/-  
प्राधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
मुख्य कार्यालय : लेवल 3, चौधरी टॉवर, ईस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051,  
दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : <http://www.shriramhousing.in>

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अण्णा नैकेन स्ट्रीट, सेन्ट्रल-600 001  
शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरी मंजिल, ओमकार टॉवर, हनुमान नगर-डी, आग्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021

**परिशिष्ट-IV-A** [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए "जहाँ है जैसा है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 30.06.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं/जमा	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (रु.) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री समय सिंह मेघवाल पता: ए-25-104, ग्रीन पार्क, बीडीआई, चिकनी, अलवर, राजस्थान-301001.	मांग सूचना दिनांक 14-04-2022 और बकाया राशि रु. 19,46,407/- (रुपये उन्नीस लाख छियालीस हजार चार सौ सात मात्र) ऋण खाता सं. SHLHAL-WR0000291	एच-51, खसरा नं. 3 53/404 का भाग, ग्राम-खुडनपुरी, तहसील एवं जिला-अलवर, राजस्थान-301001 में स्थित अचल संपत्ति का समस्त भाग, श्री सुनील कुमार पुत्र श्री समय सिंह मेघवाल के नाम पर माप 149.16 वर्ग मीटर का।	रु. 15,50,000/- (रुपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) संविदा वृद्धि रु. 10,00,00/- तथा इसके गुणकों में।	इंएमडी नीचे वर्णित खाता विवरण में आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा जमा की जानी है बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, मुम्बई बैंक खाता सं. : चालू खाता सं. 911020045677633 आईएफएससी कोड : UTIB0000230	30 जून, 2023 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.	कस्टमर केयर नं. 022-40081572 वीरेंद्र सिंह राठौर +91-9166346933, हितेश सोनी +91-9828230007
2. श्रीमती मधुबाला पत्नी सुनील कुमार, पता: ए-25-104, ग्रीन पार्क, बीडीआई, चिकनी, अलवर, राजस्थान-301001.	मांग सूचना दिनांक 14-04-2022 और बकाया राशि रु. 19,46,407/- (रुपये उन्नीस लाख छियालीस हजार चार सौ सात मात्र) ऋण खाता सं. SHLHAL-WR0000291 तथा STUHAL-WR0000342 के तहत 22-03-2022 तक बकाया एवं देय राशि यहाँ से आगे उल्लिखित ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।	एच-51, खसरा नं. 3 53/404 का भाग, ग्राम-खुडनपुरी, तहसील एवं जिला-अलवर, राजस्थान-301001 में स्थित अचल संपत्ति का समस्त भाग, श्री सुनील कुमार पुत्र श्री समय सिंह मेघवाल के नाम पर माप 149.16 वर्ग मीटर का।	रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) संविदा वृद्धि रु. 10,00,00/- तथा इसके गुणकों में।	इंएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 28-06-2023 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.	21.06.2023 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 21.06.2023 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट